

फर्द अहकाम

[नियम 26]

परखण्ड अधिकारी, मालाखेड़ा

मुकाम मालाखेड़ा

ओमदेवी

बनाम

देवदेवी

नं०

21161

सन्


24

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

24/12/25
उकील वादी/वकुलाय उप०/पीठासीन अधिकारी.....
अवकाश पत्र से खर्च होने के कारण पत्रावली पूर्व
भादेशिका अनुसार दिनांक.....को पेश होवे।
11/02/26

11/02/26 पत्रावली पेश हुई वकीलवादी
की अनुमति मूल दावा अदम हाजरी
अदम पेंरवी में खोले जा चुका है।
पत्रावली अतः प्राकृतिक वकीलपत्रों
की अनुमति अदम हाजरी अदम पेंरवी
में खोले जा जाता है। पत्रावली
पेश होकर बम्बरे से कम हो। बाद
पूर्ति संलग्न मूलवाद रहे।


उपपरखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)